प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

111-मेइता (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि –

श्री लक्ष्मण राम

मु.पो. कलरू तहसील मेड़ता जिला नागौर (राज.) 341510

जो **भारतीय जनता पार्टी** द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- श्री बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर।

दिनांक :- 03 दिसम्बर 2023

(अर्चना चोधरी) रिटर्निंग अधिकारी

111-(अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रमेइता (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेइता)

(अर्चना चौधरी) रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) मेड़ता-111(अ.जा.)

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 111-Merta (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri LAXMAN RAM

V.P. Kalru Tehsil merta, district nagaur (raj.) 341510

sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- B.R. Mirdha Government College, Nagaur

Dated: - 03 December 2023

(Archana Choudhary)

Returning Officer

111-(S.C.) Assembly Constituency Merta
(Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Merta)

(अर्चना चौधरी) र रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) गेड़ता-111(अ.जा.)